सीमाशुल्कप्रधानआयुक्तकाकार्यालय

OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF CUSTOMS

हवाईअड्डाऔरएयरकार्गोकॉम्प्लेक्सआयुक्तालय / **AIRPORT AND AIR CARGO COMPLEX COMMISSIONERATE**

एयरइंडियासाट्सएयरफ्रीटटर्मिनल, दूसरातल, देवनहल्ली, बेंगलूर

AIR INDIA SATS AIR FREIGHT TERMINAL 2ND FLOOR: KIAP: DEVANAHALLI BENGALURU– 560300 080-22001463/64

लोक सूचना सं/ PUBLIC NOTICE. NO.21/2020 दिनांक/ DATE:24.04.2020

विषय : परीक्षण रिपोर्ट एवं ई.जी.एम न दायर करने एवं त्रुटि और अन्य कारण निलंबित सीमा शुल्क प्रतिदाय एवं सीमा शुल्क धनवापसी मांगों को निपटाण करने के संबंध में विशेष ड्राइव

Sub: Drawback-Special Measures for liquidation of Drawback Claims pending on account of non-receipt of test reports of samples, EGM not filled &Errors and Others-reg

उपर्युक्त विषय "प्रतिदाय एवं धन वापसी निपटाण करने के संबंण में विशेष ड्राईव - निलंबित प्रतिदाय एवं धनवापसी मांगों के त्वरित निपटान से संबंधित निर्णय का कार्यान्वयन " के संबंध में सी.बी.आई.सी के दिनांक 9.4.2020 के अनुदेश सं . 03/2020एवं इस कार्यालय के दिनांक 16.4.2020 की लोक सूचना की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

Attention is invited to CBIC Instruction No 03/2020-Customs dated 09/04/2020 and this office Public Notice No.17/2020 dated 16.04.2020 on the subject "Special Refund and Drawback Disposal Drive Implementation of the decision to expedite pending refund and drawback claims"

2. कोविड 19 की परिस्थिति में सीबीआईसी द्वारा शुरू किये गए विभिन्न व्यापार सुगमता उपायों के अनुसरण में , अब यह निर्णय लिया गया है कि सभी निलंबित प्रतिदाय एवं धनवापसी मांग को त्वरित गति से कार्यवाही करके व्यापार संस्थाओं विशेष रूप से एम.एस.एम.ई एस को इस संकटकाल में सहायता प्रदान करें । यह निर्णय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के दिनांक 8 अप्रैल 2020 के प्रेस नोट के तहत घोषित किया गया । Continuing with various trade facilitation measures initiated by the CBIC due to prevailing COVID-19 situation, it has now been decided that all pending Customs refund and drawback claims shall be expeditiously processed to provide immediate relief to the business entities, especially MSMEs, in these difficult times. This decision has been announced vide Press Note dated 08th April 2020 issued by the Department of Revenue, Ministry of Finance.

3.एतदद्वावरा यह सूचित किया जाता है कि ,तुरंत सभी निलंबित प्रतिदाय एवं धनवापसी मांग को अग्रता के आधार परकरर्यवाही एंव निपटान के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 'विशेष प्रतिदाय एवं धनवापसी निपटान ड्राव "शुरू की गयी । यह विशेष ड्राईव दिनांक 30.4.2020 तक प्रचलित होगा । यह अपेक्षा है कि इस अवधि के दौरान दिनांक 7.4.2020 तक निलंबित सभी प्रतिदाय एवं धन वापसी मांग को निपटान किया जाए ।

It is hereby informed that immediately a "Special Refund and Drawback Disposal Drive" with the objective of priority processing and disposal of all pending refund and drawback claims was initiated. This Special Drive shall be in place till 30.04.2020. It is expected that during this period all refund and drawback claims that are pending as on 07.04.2020 are being disposed of.

4. दिनांक 21.04.2020तक ई डी आई प्रणाली में विभिन्न स्तर पर निलंबित धन वापसी मांग की स्थिति नीचे दिया गया है ।

The pendency position of drawback claims in various queues under EDI System as on 24.04.2020 is as given below:

चालू स्तर Current Queue	निलंबन का कारण /reason for pendency	कुल धन वापसी/ लदान बिल Total DBK S/Bills
नमूना/Sample	डी.वाई.सी.सी या अन्य परीक्षण एजेसी से अप्राप्य परीक्षण रिपोर्ट Non-receipt of test reports from DYCC or Other testing Agencies	52
निर्यातकर्ता/Exporter	उठाये गए प्रश्न के लिए निर्यातकर्ता द्वारा अप्रस्तुत उत्तर/ Non-submission of reply by the exporters to the Query Raised	16322
ईजीएम EGM	निर्धारित अवधि के अधीन ई जी.एम को नहीं दायर करने से Non-filing of EGM within the timeframe stipulated	1943
एस.ई.जी.एम त्रुटि SEGM error	शिप्पिंग लाइन्स/निर्यातकर्ता द्वारा 316 ई.जी.एम त्रुटि को सही करने के लिए आवेदन न दायर करने Non-rectification and non-filing of application for correcting of 316 EGM errors by the Shipping Lines/Exporters	9601
ई.जी.एम गैट त्रुटि EGM GATE	ई.जी.एम गैट त्रुटि EGM GATE ERROR	1316

5. उपर्युक्त परिस्थिति में, विभिन्न स्तर में निलंबित धनवापसी मांग को समापन करने के नम्न लिखित उपाय शुरु किया गया है ।

Given the above, the following measures are being initiated to liquidate pendency of drawback claims in various categories mentioned above:

i) **लदान बिल जिनके संबंध में नमूना लेकर लैब को परीक्षण करने के लिए भेजे गए और रिपोर्ट अप्राप्य है** । कई बार वस्तुओं की प्रकृति ऐसी है कि धन वापसी की उचित दर निर्णय करके भुगतान करने के लिए उनके संघटक निर्धारित करना पडता है । अत: कई मामलों में , तकनीकी विचार के लिए उनके नमूना निकालकर लैब को भेजा जाता है । एक बार वह नमूना लेकर भेजने के बाद रिपोर्ट प्राप्त करने तक संबंधित मांग पर कुछ कार्रवाई नही किया जा सकता है उसके लिए लेने वाले समय पर विभाग का नियंत्रण नहीं है । अत:, निलंबित मामलों के प्रभावी एवं त्वरित निपटान को सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण परिणाम के लिए इंतजार किये बिना, अनुमान्य धनवापसी शीर्ष के अधीन के सामने दिये गए न्यूनतम दर के आधार पर मांग पर कार्यवाही की जा सकती है । संबंधित लैब से परीक्षण परणाम आने के बाद , और यह पाया गया है कि वह निर्यातकर्ता के लिए लाभदायक हो , और उसको विभाग भी उस परीक्षण रिपोर्ट को स्वीकृत किया तो , निर्यातकर्ता और निर्यातकर्ता वैद्य और धन वापसी के उचित पुन: भुगतान के लिए, धनवापसी अनुभाग में सहायक मांग दायर कर सकता है

Claims pending for want of test results reports from Labs in cases of S/Bills wherein samples were drawn & sent: Many times the nature of the goods is such that they have to be sent for testing to know their composition to determine the appropriate rate of Drawback to be disbursed.

Hence, in many cases, samples are drawn and sent regularly to Labs for testing and technical opinion. Once the samples are sent for testing until the report is received nothing much could be done in respect of the concerned claims and the time taken for receipt of test reports is beyond the control of the department. Hence, to ensure effective and speedy disposal of the pending claims, the claims can be processed at the lowest of the rates subject to the approval of the examination report at export shed and corresponding to the probable Drawback headings, without waiting for the test results. Once the test results are received from respective Labs and are found to be in the favour of the exporter and the department has accepted such findings in the Test Report, then, on the strength of the said test results, the exporters can lodge supplementary claims with the DBK section for appropriate re disbursal of a drawback for which they are entitled.

ii) उठाये गए प्रश्न के लिए निर्यातकर्ता द्वारा अप्रस्तुत उत्तर के कारण निलंबित मांग/ **Claims pending on account of non-receipt of reply to the queries raised:** निर्यातकर्ता द्वारा दायर किये गए धनवापसी मांग पर धनवापसी अधिकारी द्वारा कई प्रश्न उठाया जाता है जो निर्यातकर्ता की अनुक्रिया /उत्तर के लिए प्रश्न मेनु को भेजा जाता है। प्रश्नों के छान बीन करने के बाद निर्यातकर्ता/निर्यातीत वस्तुओं की प्रामाणिकता के बारे कोई तर्कशील शंका होता है तो , और ऐसे जांचपडताल उनके विरुद्ध निलंबित है तो उन निर्यातकर्ताओं को गोर निगरानी पर रखना है । राजस्व को सुरक्षित करने के लिए ऐसे निर्यातकर्ताओं की सूची एस.आई.आई.बी को संगत विवरण के संबंध में आगे के जांच पडताल के लिए भेजी जा सकती है । आगे , लदान बिल जिनके संबंध में प्रश्न उठाया गया था और धनवापसी मांग निर्यातकर्ता के उत्तर के लिए निलंबित है उनको ईडीआई/एन.आई.सी से प्राप्त किया जाता सकता है । जहां नियातकर्ता ने प्रश्नों का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया उन मामालों के संबंध में धनवापसी अनुभाग के प्रभार्य उप आयुक्त को यह निदेश दिया जाता है कि अपने सह कर्मचारियों के साथ मिलकर दिनांक 25.1.2020 की लोक सूचना सं1/2020 में प्रस्तावित के अनुसार , धनवापसी को उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर कार्रवाई शुरु करें और प्रश्नों का समापन करें । आगे इन मामलों के संबंध में निर्यातकर्ता , विद्यमान विधि एवं उसके अधीन बनाये गए नियमों के अनुसार एक अतिरिक्त मांग दायर कर सकता है । संयुक्त आयुक्त /उप/सहायक आयुक्त किसी और अधिकारी को भी सहयोगी के रूप में चुण सकते हैं और अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें ।

Several queries are raised by the Drawback officers in respect of the drawback claims filed by the exporter and they are sent to the exporters' query menu for their response/reply. On scrutiny of the queries raised if any reasonable doubt is entertained regarding the genuineness of the exporter and exported goods and if any such investigations are pending against them then those exporters may be placed under intensive surveillance. Such a list of exporters may be sent to the SIIB for further probe into the relevant details to safeguard the interest of revenue. Further, a detailed list of S/Bills in which queries have been raised and drawback claims are pending for submission of replies from the exporters shall be obtained from EDI / NIC. The Deputy Commissioner in charge of Drawback section along with his officers in the section is directed to complete the scrutiny of queries and the action as proposed in the Public Notice No 01/2020 dated 25.01.2020 will be initiated by making the drawback amount as per available records, wherever no reply is submitted by the exporter. Subsequently, for such cases, the exporters may file supplementary claims as per extant provision of Law and Rules made thereunder. JC/ADC, ACC co-opt any other officer if need be, and intimate the same to the undersigned.

iii) **ई.जी.एम न दायर करने और ईजीएम संबंधी त्रुटियां /EGM not filed and EGM Errors:**

ई.जी.एम त्रुटियों के फलस्वरूप , ई.जी.एम त्रुटियों के कारण , धनवापसी मांग पर की जानेवाली कार्यवाही की गति प्रभावित है । ई.जी.एम दायर करते समय, वजन, अंश लदान विवरण/ लियो विवरण एवं गैट वे ई.जी.एम को गलत रूप से इंदराज किया जाता हे इसीको ई.जी. त्रुटि माना जाता है । On account of

EGM errors, the pace of processing of Drawback claims gets substantially affected. While filing the EGM, the details of quantity /part shipment details/LEO details and GATEWAY EGM may get wrongly entered and these are called EGM errors.

a) अक्सर पाये जानेवाले ऐसे त्रुटियां पी.एच.जी और एल प्रकार के होंगे । इन त्रुटियों को ठीक करने के लिए इस प्रकार के और अन्य त्रुटियों को ठीक करने के लिए अधीक्षक के संवर्ग अधिकारी एसीसी आयुक्तालय में तैनात किया गया है

The errors that frequently occur belong to the P, H, G and L types. For rectifying these and such other errors, the officer of Supdt. Cadre has been posted in the ACC.

b) एयर लाईन्स द्वारा एयरक्राफट के प्रस्तान के पहले ईजी.एम को दायर करना चाहिए। अगर ई.जी.एम समय पर नहीं किया गया तो उसको सिस्टम में इंदराज नहीं कर पायेंगे । और स्वचालित रूप से ई.डी.आई प्रणाली में ई.जी.एम दायर नहीं किया गया करके त्रुटि दर्शाया जाता है । अगर ई जी एम पुराणे अवधि के लिए दायर नहीं किया गया तो , उसको ई.डी.आई में अभी दायर करना है ।

.The EGM has to be filed within before the departure of the Aircraft by the Airlines. If the EGM is not filed in time then they cannot be entered into the system and thus the error of EGM NOT FILED automatically pops up in the EDI system. In case of EGM not filed for the old period, the EGM has to be now filed in the EDI.

c) यह माने गए तथ्य है कि, अगर ईजीएम पूर्व एवं अंतिम जांच सूची के द्वारा एयर लाईन्स ने दायर किया तो उनको ई.जी.एम त्रुटियों को बारे में जानकारी होनी चाहिए ।ई जी एम त्रुटियों को ई जी एम दायर करने के 48 घंटे तक सही करना एयर लाईन्स की जिम्मेदारी है, जिसके लिए उनको ईजीएम संयोजक/धनवापसी अनुभाग के प्रभार्य सहायक /उप आयुक्त को संपर्क करके दिये गए कार्यवाहियों के अनुसार त्रुटियों को सही करना है । अत: यह निर्णय लिया गया है कि दायर नहीं किये गए ई जी एमऔर ई जी एम त्रुटि के अधीन निलंबित लदान बिल को बी.आर.सी के प्रस्तुति के अनुसरण में , गुणवत्ता के आधार पर संसाधित किया जाएगा It is a known fact that the Air lines have the knowledge of EGM errors in case of EGM filed by them through pre and a final checklist. It is the responsibility of the Air lines to rectify the EGM errors within 48 hours of the filing of the EGM for which they have to approach the AC/DC/Supdt in-charge of EGM and get the EGM errors rectified as per the laid down procedure. Hence, it has been decided that the shipping bills pending under EGM NOT FILED and EGM ERRORS categories will be processed on merit.

4. इस लोक सूचना के कार्यान्वयन में कोई तकलीफ सामना करना पडे तो, उसको श्री के सुनिल कुमार नायर, सहायक आयुक्त को एयर इंडिया सेटस भवन, कूल पोर्ट, के.आई.ए.एल , देवनहल्ली ,बेंगलूरु560300 में सिथत उनके कार्यालय के (दूर भाष सं 22001449) में उनके ई मेल पताsunil.nair@icegate.gov.in. में सूचित कर सकते हैं ।

Any difficulty faced in implementing this Public Notice or any modifications, amendments etc., may please be brought to the notice of Shri K.SUNIL KUMAR NAIR, Assistant Commissioner of Customs (Contact No.080-22001449) at the office at the Air India Sats Building, Cool Port, KIAL, Devanahalli, Bengaluru-560300 and also at the email id address : sunil.nair71@ gov.in.

5.

अधिकारियोंकेलियेइसलोकसूचनाकेनिर्णयोंकेआधारपरकीजानेवालीकार्वाईकेलियेयहस्थायीआदेशकीतरहमा नाजायेगा।

Action to be taken in terms of decisions conveyed in this Public Notice should be considered as Standing Order for the purpose of Officers.

अशोक 24/04/2020.

(अशोक/ ASHOK)

प्रधान आयुक्त/ PRINCIPAL COMMISSIONER

फाईलसंC.No.VIII/48/97/2020 BACC TECH (दस्तावेज पहचान सं /DIN:20200472MP00001F6E96)

के तहत जारी की जा रही है /Issued from File C.No.VIII/48/97/2020 BACC TECH

.प्रतिप्रस्तुत /Copy submitted to:

मुख्यआयुक्त, सीमाशुल्कबेंगलूरु, बेंगलूरुअंचल, केंद्रीयराजस्वभवन, बेंगलूरु / The Chief Commissioner of Customs, Bengaluru Zone, C.R. Building , Bengaluru

प्रतिप्रेषित/Copy to:

1) सभीअपर/ संयुक्त/उप/सहायकआयुक्तएयरपोर्टएवंएसीसीआयुक्तालय/ All the ADCs/JCs/DCs/ACs, Airport & ACC Commissionerate, Bengaluru
2) फेडरेशनआफकर्नाटका, चैंबरऑफकामर्स, सं9996 , कैंपेगौडारोड, गाँधीनगर, बेंगलूरु Federation of Karnataka, Chamber of Commerce & Industry (FKCCI), No.9996, Kempegowda Road, Gandhinagar, Bengaluru
3) बेंगलूरुसीमाशुल्कबोकार्सएजेंटसंगटन, सं71., कार्गोविल्लेज, बी-ब्लाक, बेंगलूरुअंतर्राष्ट्रीयएयरपोर्ट,देवनहल्ली, बेंगलूरु / Bangalore Customs Brokers Agents Association
4) सभी एयर लाइंस उनके संगठन द्वारा/ All Airlines through Association.
5) फेडरेशनआफइंडियनएक्सपोर्टआरर्गनाईसेशन, (एफ.आई.एफ.ओ,) पहलातल, वी.आई.टी.सी, भवन, कस्तूरिबारोड, बेंगलूरु।Federation of Indian Export Organisation (FIEO),IstFloor,VITC Building, Kasturba Road, Bengaluru
6) सभी संरक्षकों/All Custodians.
7) बेंगलूरुसीमाशुल्कवेबसाईट /Bengaluru Customs Website
8) सूचनापट्ट /Notice Board.
9) बेंगलूरुसेप्रचलितसभीकोरियरएजेन्सी /All Courier Agencies Operating at Bengaluru (कोरियरसंगठ्नद्वारा/ through Courier Association)
10) मास्टरफाईल /Master file.